भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2063

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत सीएलएसएस के लिए आवेदनों की स्थिति

†2063. श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत ऋण संयोजित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के लिए उक्त योजना के प्रारंभ से लेकर इसकी समाप्ति तक पंजीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और कितनी सब्सिडी वितरित की गई है;

(ग) क्या पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सब्सिडी वितरण की गति बहुत धीमी रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2019 और 2025 के मध्य सीएलएसएस हेतु पंजीकृत और स्वीकृत आवेदनों की वर्ष-वार संख्या कितनी है, और

(ङ) शेष आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) सहित केंद्रीय नोडल

एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। एमआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2021 को समाप्त हुआ और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2022 को समाप्त हुआ।

ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन लाभार्थियों द्वारा बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को प्रस्तुत किए गए थे। उचित सावधानी के बाद, देश में प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) के माध्यम से सीएनए द्वारा पात्र लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी जारी की गई थी।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। आईएसएस के संभावित लाभार्थी https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध एकीकृत वेब-पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग दर्ज करा सकते हैं।

पीएमएवाई-यू का सीएलएसएस घटक 31.03.2022 को समाप्त हो गया था। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों के आय-समूह और श्रेणी-वार विवरण के साथ उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है। पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के लाभार्थियों के आय-समूह और श्रेणी-वार विवरण के साथ उनका राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक II में दिया गया है।

*****

दिनांक 11-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2063 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों का आय-समूह और श्रेणी-वार के साथ-साथ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी		एमआईजी		कुल	
			जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी	लाभार्थी परिवारों की संख्या	केंद्रीय सब्सिडी राशि	लाभार्थी परिवारों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1		आंध्र प्रदेश	867.60	36,399	611.06	29,122	1,478.66	65,521
2		बिहार	305.82	13,002	150.06	7,297	455.88	20,299
3		छत्तीसगढ	679.33	29,923	153.37	7,627	832.70	37,550
4		गोवा	39.64	1,560	35.04	1,581	74.68	3,141
5		गुजरात	14,432.02	5,80,412	1,366.42	63,375	15,798.44	6,43,787
6		हरियाणा	632.31	26,621	371.34	18,312	1,003.65	44,933
7		हिमाचल प्रदेश	40.48	1,715	16.99	807	57.47	2,522
8		झारखंड	174.77	7,511	149.29	7,649	324.06	15,160
9		कर्नाटक	1,141.51	49,449	1,227.05	57,480	2,368.56	1,06,929
10		केरल	621.13	26,909	121.89	5,742	743.02	32,651
11		मध्य प्रदेश	3,510.26	1,50,542	461.62	22,839	3,971.87	1,73,381
12		महाराष्ट्र	12,230.95	4,90,836	2,943.26	1,34,214	15,174.21	6,25,050
13		ओडिशा	149.89	6,889	117.30	5,867	267.19	12,756
14		पंजाब	860.83	36,049	269.33	12,755	1,130.16	48,804
15		राजस्थान	2,704.73	1,19,319	592.86	29,043	3,297.59	1,48,362
16		तमिलनाडु	1,792.64	77,485	882.39	42,629	2,675.03	1,20,114
17		तेलंगाना	1,003.01	40,320	1,047.16	48,126	2,050.18	88,446
18		उत्तर प्रदेश	2,193.52	92,723	1,298.73	62,733	3,492.25	1,55,456
19		उत्तराखंड	329.00	14,302	114.45	5,617	443.46	19,919
20	राज्य	पश्चिम बंगाल	1,453.15	58,891	562.93	26,731	2,016.08	85,622
उप-कुल (राज्य): -			**45,162.59**	**18,60,857**	**12,492.55**	**5,89,546**	**57,655.14**	**24,50,403**
21		अरुणाचल प्रदेश	0.71	31	0.92	42	1.63	73
22		असम	45.63	1,962	36.50	1,837	82.14	3,799
23		मणिपुर	3.82	205	0.51	28	4.33	233
24		मेघालय	3.45	168	0.59	36	4.04	204
25		मिजोरम	37.54	2,080	2.12	139	39.65	2,219
26		नागालैंड	0.53	27	0.21	13	0.74	40
27	उत्तर पूर्वी राज्य	सिक्किम	3.27	142	0.96	47	4.23	189
28		त्रिपुरा	41.56	1,812	19.86	1,036	61.42	2,848
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य): -			**136.51**	**6,427**	**61.67**	**3,178**	**198.18**	**9,605**
29		अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.35	14	0.22	10	0.56	24
30		चंडीगढ़	15.59	648	13.19	608	28.78	1,256
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	163.12	6,736	11.85	582	174.97	7,318
32		दिल्ली	412.83	16,893	279.70	13,083	692.53	29,976
33	संघ राज्य क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	59.16	2,814	11.66	618	70.82	3,432
34		लद्दाख	0.91	48	0.07	6	0.98	54

35		पुदुचेरी	32.77	1,466	13.71	686	46.48	2,152
उप-कुल (यूटी):-			**684.74**	**28,619**	**330.39**	**15,593**	**1,015.12**	**44,212**
कुल योग: -			**45,983.84**	**18,95,903**	**12,884.61**	**6,08,317**	**58,868.45**	**25,04,220**

दिनांक 11-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2063 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-यू 2.0 के सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों का आय-समूह और श्रेणी-वार के साथ-साथ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी		एमआईजी		कुल	
			जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी	लाभार्थी परिवारों की संख्या	केंद्रीय सब्सिडी राशि	लाभार्थी परिवारों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1		आंध्र प्रदेश	1.12	342	0.43	121	1.54	463
2		बिहार	0.17	57	0.08	24	0.25	81
3		छत्तीसगढ	1.25	403	0.36	108	1.61	511
4		गोवा	0.07	21	0.02	5	0.09	26
5		गुजरात	38.49	10,979	6.38	1,814	44.87	12,793
6		हरियाणा	1.36	415	0.39	114	1.76	529
7		हिमाचल प्रदेश	0.04	12	0.01	4	0.06	16
8		झारखंड	0.11	34	0.07	19	0.17	53
9		कर्नाटक	1.24	404	0.37	112	1.61	516
10		केरल	0.36	116	0.10	28	0.46	144
11		मध्य प्रदेश	10.98	3,440	1.78	525	12.75	3,965
12		महाराष्ट्र	41.12	11,806	9.26	2,627	50.38	14,433
13		ओडिशा	0.16	47	0.11	32	0.27	79
14		पंजाब	2.69	817	0.46	133	3.15	950
15		राजस्थान	14.90	4,565	2.64	761	17.54	5,326
16		तमिलनाडु	2.23	686	0.74	224	2.97	910
17		तेलंगाना	1.03	321	0.33	97	1.36	418
18		उत्तर प्रदेश	7.24	2,248	1.60	460	8.84	2,708
19		उत्तराखंड	1.15	353	0.18	51	1.33	404
20	राज्य	पश्चिम बंगाल	6.48	1,840	2.23	627	8.71	2,467
उप-कुल (राज्य):-			**132.19**	**38,906**	**27.54**	**7,886**	**159.73**	**46,792**
21		अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
22		असम	0.09	28	0.05	16	0.15	44
23		मणिपुर	0.00	1	-	-	0.00	1
24		मेघालय	0.00	1	-	-	0.00	1
25	उत्तर पूर्वी राज्य	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
26		नागालैंड	-	-	-	-	-	-
27		सिक्किम	-	-	-	-	-	-
28		त्रिपुरा	0.02	7	0.02	5	0.04	12
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य): -			**0.12**	**37**	**0.07**	**21**	**0.19**	**58**
29		अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1	-	-	0.00	1
30		चंडीगढ़	0.06	18	0.00	1	0.06	19
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0.75	220	0.10	30	0.85	250
32	संघ राज्य क्षेत्र	दिल्ली	4.00	1,131	0.85	239	4.84	1,370
33		जम्मू और कश्मीर	0.01	3	0.01	3	0.02	6
34		लद्दाख	-	-	-	-	-	-
35		पुदुचेरी	0.03	11	0.02	5	0.05	16
उप-कुल (यूटी):-			**4.85**	**1,384**	**0.98**	**278**	**5.83**	**1,662**
कुल योग: -			**157.97**	**40,327**	**77.41**	**8,185**	**235.38***	**48,512**

* इसमें पोर्टल पर हाल ही में अपलोड किए गए दावों के लिए सीएनए को स्वीकृत 69.62 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।